न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आंशिक संशोधित आदेश

विविध वाद सं0– 11/2019–20

प्रथम पक्ष – मेघा उरॉव ....
बनाम
द्वितीय पक्ष – झारखण्ड सरकार ....

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
10.1.23	**नोट** :– पूर्व में उक्त वाद के निर्गत आदेश में लिपिकीय टंकक भूल होने के कारण अपीलार्थी (प्रथम पक्ष) के द्वारा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से सी0पी0सी0 की धारा 152 के अन्तर्गत निर्गत आदेश में संशोधन करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। दाखिल आवेदन के आलोक में पूर्व में निर्गत आदेश को सी0पी0सी0 की धारा 152 के अन्तर्गत संशोधन कर पुनः आंशिक संशोधन आदेश निर्गत किया जा रहा है।	

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी मेघा उरॉव, पिता – स्व0 गन्दुरा उरॉव, ग्राम – दमकारा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला के द्वारा मौजा – दमकारा के खाता सं0 93 के संबंध में अपील दायर किया गया।

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
दमकारा	93	10	8.24 एकड़

कुल रकबा 8.24 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद में कहा गया है कि खाता सं0 93 के अवशेष भूमि को पंजी ।। में दर्ज करने एवं रसीद निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया है। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उक्त विविद् अपील वाद में जवाब दाखिल किये है कि मौजा –

दमकारा, थाना – पालकोट, थाना नं0 – 46 जिला – गुमला के खाता नं0 93, कुल प्लॉट – 29, रकबा – 20.81 एकड़ भूमि है। खतियानी रैयत मेघा उरॉव वो बन्धु उरॉव पेशरान कुशीया उरॉव वो गन्दुरा उरॉव वो कुशीया उरॉव पेशरान भुरता उरॉन के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत का रैयती जमीन है जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

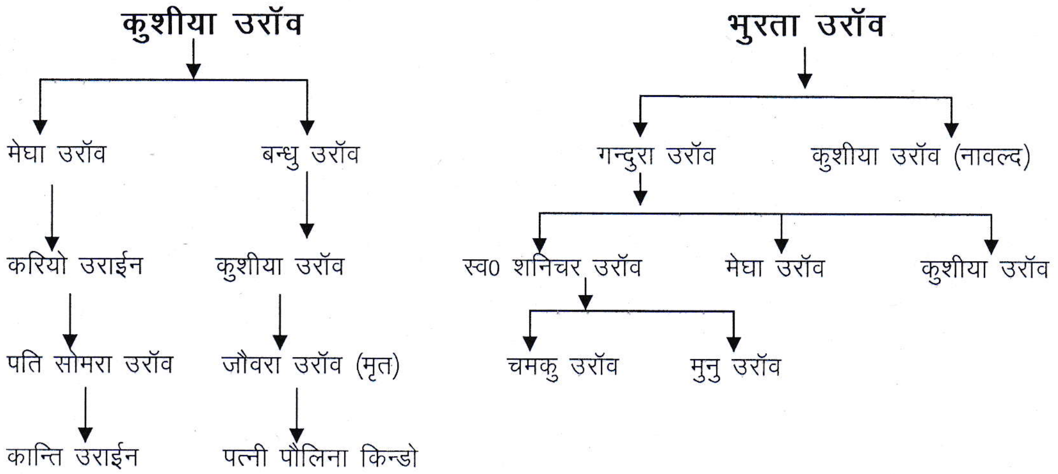

मेघा उराँव वल्द कुशीया उराँव ने अपनी पुत्री करियो उराईन पति सोमरा उराँव को पट्टा दिनांक 19.03.1942 एवं पट्टा दिनांक 06.02.1943 से खाता नं० 93 कुल रकबा 20.81 डी० में से 8.24 डी० को लिख दिया गया जो खाता का प्लॉट नं० 464,1356,1357,1359,1362,1366,1370,1371,1756 1758 है जो कुल प्लॉट 10 है। खाता नं० 93 कुल प्लॉट 29 कुल रकबा 20.81 डी० में से 20.78 डी० जमीन का खतियानी रैयत का सम्मिलात जमीन रसीद मेघा उराँव पिता कुशीया उराँव वगैरह के नाम से कटता था। मेघा उराँव पिता कुशीया उराँव ने अपने पुत्री करियो उराईन पति सोमरा उराँव को पट्टा दिनांक 19.03.1942 एवं पट्टा दिनांक 06.02.1943 से खाता नं० 93 कुल रकबा 20.81 डी० में से 8.24 डी० लिखा जमीन को न्यायालय सब जज गुमला में केश किया गया था। टी०एस० न० 62 / 1979 है। वादी (1) गन्दुरा उराँव वल्द भूरता उराँव (2) कुशीया उराँव पिता बन्धु उराँव बनाम प्रति वादी (1) कान्ति उराईन पिता स्व० सोमरा उराँव (2) झोरा उराँव वो (3) मोगल उराँव पिता स्व० दुखीया उराँव (4) बालकु उराँव पिता केतना उराँव है। खाता नं० 93 प्लॉट नं० क्रमशः– 464, 1356, 1357, 1359, 1362, 1366, 1370, 1371, 1756, 1758, रकबा क्रमशः – 0.03 डी०, 2.11 डी०, 0.33 डी०, 0.26 डी०, 0.51 डी०, 1.03 डी०, 0.28 डी०, 0.33 डी०, 3.23 डी०, 0.13 डी० कुल रकबा 8.24 डी० भूमि को जो पट्टा दिनांक 19.03.1942 एवं पट्टा दिनांक 06.03. 1943 से लिखा जमीन को न्यायालय का फैसला आदेश दिनांक 29.03.1985 है जो वादी गुन्दरा उराँव पिता कुशीया के पक्ष में हुआ है। खाता नं० 93 का शेष प्लॉट नं० –100, 104, 402, 1757, 1777, 1778, 1782, 997, 1364, 1365, 403, 693, 864, 866, 993, 996, 1783, 1784, 1780 कुल प्लॉट 19 है। रकबा क्रमशः– 0.16 डी०, 2.52 डी०, 0.62 डी०, 0.57 डी०, 0.80 डी०, 0.33 डी० 0.33 डी०, 0.31 डी०, 0.32 डी०, 1.73 डी०, 0.83 डी०, 0.52 डी०, 0.56 डी०, 0.80 डी०, 0.33 डी०, 1.20 डी०, 0.32 डी०,

0.20 डी०, 0.12 डी०, कुल रकबा 12.57 डी० भूमि को न्यायालय से फैसला नहीं दिया गया है चूँकि T-S- No- 62 / 1979 में केश नहीं हुआ था। खाता नं० 93 का शेष 19 प्लॉट रकबा 12.57 डी० खतियानी रैयत का सम्मिलात जमीन है। खतियानी रैयत के सभी वंशज मर चुके है अब केवल गन्दुरा उराँव के वंशज है और आवेदक मेघा उराँव पिता स्व० गन्दुरा उराँव ने खाता नं० 93 का शेष 19 प्लॉट का कुल 12.57 डी० का रसीद कटाने के लिए अंचल पालकोट गये लेकिन रसीद नहीं काटा गया। खाता नं० 93 को शेष कुल 19 प्लॉट रकबा क्रमश कुल रकबा 12.57 डी० भूमि को आवेदक के नाम से रसीद काटने के लिए अंचल पालकोट को आदेश पारित करने की कृपा किया जाय।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि खाता नं० 93 का शेष 19 प्लॉट, कुल रकबा 12.57 डी० भूमि को पंजी ॥ में दर्ज एवं ऑनलाईन करने का तथा रसीद काटने का आदेश पारित किया जाय और पंजी ॥ से सोमरा उराँव वो दुखीया उराँव वो बालकु उराँव पिता केतना उराँव का नाम हटाने एवं ऑनलाईन से भी नाम हटाने का आदेश पारित किया जाय ।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1 टाईटल सूट 62/1979 के आदेश की छाया प्रति।
2 रसीद की छायाप्रति।
3 खतियान की छायाप्रति।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा – दमकारा के खाता नं० 93 का शेष प्लॉट नं० –100, 104, 402, 1757, 1777, 1778, 1782, 997, 1364, 1365, 403, 693, 864, 866, 993, 996, 1783, 1784, 1780 कुल प्लॉट 19 है। रकबा क्रमशः– 0.16 डी०, 2.52 डी०, 0.62 डी०, 0.57 डी०, 0.80 डी०, 0.33 डी० 0.33 डी०, 0.31 डी०, 0.32 डी०, 1.73 डी०, 0.83 डी०, 0.52 डी०, 0.56 डी०, 0.80 डी०, 0.33 डी०, 1.20 डी०, 0.32 डी०, 0.20 डी०, 0.12 डी०, कुल रकबा 12.57 डी० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी मेघा उराँव वगैरह के आवेदन को स्वीकृत करते हुए पंजी ॥ एवं ऑनलाईन से सोमरा उराँव वो दुखीया उराँव वो बालकु उराँव पिता केतना उराँव का नाम हटाते हुए अपीलार्थी मेघा उराँव वगैरह का पंजी ।। में नाम दर्ज करने एवं रसीद निर्गत करने हेतु आदेश दिया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10.1.23
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

10.1.23
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 13:01:48 +05:30
Location: 192.168.1.10